संपादकीय जागरण

शनिवार, 21 जुलाई, 2018 : आषाढ़ शुक्ल 9 वि. 2075

बंधनों से मुक्ति पा लेना ही मोक्ष है

वक्त की बर्बादी

मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा पहले से पता था। बावजूद इसके इस उत्कंठा ने उसके प्रति दिलचस्पी बढ़ा दी थी कि इस दौरान संसद में कौन कितनी जोरदारी से अपनी बात कहता है? इस प्रस्ताव पर चर्चा के समय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निगाहें कुछ ज्यादा ही थीं। शायद वह भी यह जान रहे थे और इसीलिए उन्होंने सरकार के खिलाफ आक्रामक भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री के पास जाकर सहसा उन्हें गले लगा लिया। अच्छा होता कि वह इससे भी परिचित होते कि कैमरे की निगाह से कुछ छिपता नहीं। प्रधानमंत्री से गले मिलने के तत्काल बाद उन्होंने जैसी मुख मुद्रा अपनाई उससे अविश्वास प्रस्ताव एक तरह के तमाशे में तब्दील हो गया। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हुई चर्चा ने यही अधिक इंगित किया कि संसद में बहस का स्तर सचमुच गिर गया है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि इस गिरावट की एक वजह संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण भी है। हैरत नहीं कि राहुल इसी मकसद से प्रधानमंत्री के गले लगे हों कि उनका यह कथित मैत्री भाव चर्चा का विषय बनेगा। जब कुछ ढंग का कहने की जरूरत थी तब वह कुछ बेढंगा कर बैठे। उनके भाषण में कोई नई बात खोजना मुश्किल रहा। उन्होंने मोदी सरकार पर वही पुराने घिसे-पिटे आरोप नए सिरे से मढ़े जिनका इस्तेमाल वह पहले भी कर चुके हैं। हमेशा की तरह उनके ज्यादातर आरोप आधारहीन ही थे।

यह सामान्य बात नहीं कि इधर राहुल ने राफेल विमान सौदे में गड़बड़ी का पुराना आरोप उछाला और उधर फ्रांस सरकार ने उसका न केवल खंडन किया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि इस सौदे में गोपनीयता बरते जाने का समझौता संप्रग सरकार के समय ही किया गया था। इस स्पष्टीकरण के बाद राहुल के लिए यह बताना आवश्यक हो जाता है कि आखिर उन्होंने किस आधार पर यह बोल दिया कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने उन्हें बताया था कि राफेल सौदे में गोपनीयता संबंधी कोई समझौता नहीं हुआ? आलोचना और तथ्यपरक आरोपों का तो जवाब दिया जा सकता है, लेकिन निराधार आरोपों का जवाब देना एक तरह से तू तू-मैं मैं करना ही है। यह निराशाजनक रहा कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्ष मोदी सरकार की कायदे से आलोचना भी नहीं कर सका। अविश्वास प्रस्ताव में जिस तरह आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता न देने को तूल दिया गया उससे यह साबित हुआ कि विपक्ष सरकार को घेरने के लिए ठोस मुद्दों का चयन करने में भी नाकाम रहा। क्या तेलुगु देसम पार्टी इससे इन्कार कर सकती है कि केंद्र सरकार आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने के बजाय अन्य तरीके से सहायता करने को तैयार थी? अब तो इससे आंध्र की जनता भी परिचित है कि तेलुगु देसम पार्टी की दिलचस्पी केंद्र से सहायता हासिल करने के बजाय इसमें थी कि इस मसले को राजनीतिक रूप से भुनाया कैसे जाए? विपक्ष ने नोटबंदी सरीखे दो साल पुराने मसले को उठाकर जिस तरह सरकार को घेरने की कोशिश की उससे यही जाहिर हुआ कि उसने पर्याप्त तैयारी नहीं कर रखी थी। उसने एक तरह से अपना और साथ ही देश का वक्त बर्बाद किया।

लक्ष्य से पीछे

जीएसटी लागू हुए अब एक साल बीत चुका है लेकिन, अपने प्रदेश में व्यापारियों को जीएसटी के तहत लाने का लक्ष्य अभी काफी पीछे है। जीएसटी शुरू होने के समय प्रदेश में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या करीब सात लाख थी, जो अब तक महज 13.50 लाख तक पहुंची है। जबकि इसे कम से कम 20 लाख तक हो जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री योगी इसे लेकर न केवल खफा हैं, बल्कि वाणिज्य विभाग के अफसरों के पेंच कसते हुए कुछ महीनों में लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश भी दिया है। दरअसल, जीएसटी में यह प्रावधान कर दिया गया है कि 20 लाख से कम सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए जीएसटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। इसी का फायदा कुछ व्यापारी उठा रहे हैं। वे कोई न कोई रास्ता तलाश कर टर्नओवर न केवल कम दिखा रहे हैं, बल्कि जीएसटी बचाकर राजस्व का नुकसान भी कर रहे हैं। इसका दूसरा पहलू देखें तो यह वाणिज्य विभाग की भी विफलता है।

> देखना यही है कि विभाग व्यापारियों और उनको शह देने वाले कर्मचारियों पर कैसे और कब तक अंकुश लगा सकेगा

दूसरा यह कि इसे परंपरागत रूप से आकलन के बजाय आखिर ऐसी प्रणाली विकसित क्यों नहीं की जा रही है, जिससे किसी भी वस्तु या सेवा का आदान-प्रदान अलिखित न होने पाए। वस्तुओं की आवाजाही पर पूरी निगरानी क्यों नहीं हो पा रही है। कहने को विभाग ने तमाम चेक प्वाइंट तैयार किए हैं लेकिन, देखने वाली बात है कि ये चेक प्वाइंट प्रभावी क्यों नहीं हो पा रहे हैं, कहीं विभाग के कुछ कर्मचारी ही इस पूरी व्यवस्था को पलीता तो नहीं लगा रहे, उन पर भी निगहबानी की जरूरत है, क्योंकि ऐसा करके वे न केवल अपराध कर रहे हैं, बल्कि राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखना यही है कि विभाग व्यापारियों और उनको शह देने वाले कर्मचारियों पर कैसे और कब तक अंकुश लगा सकेगा।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव व्यर्थ की कवायद है?

आज का सवाल

क्या अफवाहों से निपटने के लिए वाट्सएप का डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम कारगर साबित होगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें

Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

कश्मीरियत बहाल करने की चुनौती

ब्रिगेडियर आरपी सिंह

कश्मीर में चरमपंथ से निपटना असल में धारणा से जुड़ी लड़ाई है। इसके लिए लोगों के दिलों को जीतने की निरंतर कोशिश करनी होगी

सितंबर 1947 में जब महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय की पेशकश की थी तब नेहरू ने इससे इन्कार कर दिया था, क्योंकि वह न केवल पहले शेख अब्दुल्ला की रिहाई, बल्कि उन्हें जम्मू-कश्मीर का प्रधानमंत्री भी बनवाना चाहते थे। महाराजा के लिए यह स्वीकार्य नहीं था। उधर आजादी के बाद से ही पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर पर हमला करने की फिराक में था। पाकिस्तानी हमले की रूपरेखा से जुड़ा एक पत्र संयोगवश मेजर ओएस कल्लत के हाथ लग गया। उस समय वह पाकिस्तानी इलाके बन्नू में थे। उन्होंने तुरंत भारत आकर आगाह किया। यह जानकर पटेल और तत्कालीन रक्षा मंत्री बलदेव सिंह घुसपैठियों से निपटने के लिए पाक से लगी जम्मू-कश्मीर सीमा पर सेना भेजना चाहते थे, लेकिन नेहरू इसके लिए राजी नहीं हुए। यह इतनी बड़ी गलती थी जिसकी मिसाल देना मुश्किल है। वहां जनमत संग्रह और इस मसले को यूएनओ ले जाना नेहरू की और भी बड़ी गलतियां थीं। इसके पहले नेहरू ने ऐसी ही एक गलती तब की थी जब उन्होंने शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कराने के लिए कश्मीर जाने का फैसला किया और वहां महाराजा से भिड़ गए। नेहरू के बाद इंदिरा ने भी कई गलतियां कीं। वह अगर 1971 की लड़ाई को ढाका की आजादी के बाद कुछ दिन और खींचतीं तो गिलगित-बाल्टिस्तान सहित समूचे पीओके को भी आजादी मिल गई होती। साथ ही शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान उन्हें जुल्फिकार अली भुट्टो पर दबाव बनाना चाहिए था कि वह नियंत्रण रेखा को दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दें। वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी-शेख अब्दुल्ला समझौता उनकी एक और बड़ी गलती थी जिसके चलते शेख मुख्यमंत्री बन गए। यह समझौता कश्मीर के लिए बहुत घातक साबित हुआ। इसने जनमत संग्रह की आग भड़काई। इससे आंतरिक रूप से अशांत होने के साथ ही कश्मीर का तेजी से इस्लामीकरण होने लगा। पाक परस्त ताकतें सिर उठाने लगीं। उन्हें अहम पदों से नवाजा जाने लगा। अल-फतेह के उपद्रवी पुलिस बल को भी निशाना बनाने लगे। शेख के निधन के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला उनकी गद्दी पर बैठे। इंदिरा गांधी ने जुलाई 1984 में उन्हें बर्खास्त करके उनके बहनोई जीएम शाह को मुख्यमंत्री बनाया। फिर 1986 में राजीव गांधी ने शाह को बर्खास्त कर दिया।

वर्ष 1987 में राजीव-फारूक समझौते ने फारूक अब्दुल्ला का राजनीतिक पुनर्वास करा दिया। फारूक ने भारत विरोधी तत्वों को खामोशी के साथ शह दी। फारूक को 1987 में विधानसभा चुनावों में हेराफेरी का भी दोषी माना जाता है। इसके कारण कश्मीरी युवाओं ने हथियार उठा लिए। सैयद अली शाह गिलानी और मुहम्मद यूसुफ शाह जैसे लोगों ने चुनाव लड़ा। इन हालात में यूसुफ शाह सलाहुद्दीन बन गया और हिज्बुल मुजाहिदीन का उभार हुआ। 2008 के विधानसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े। मगर त्रिशंकु विधानसभा में नेशनल कांफ्रेंस के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बाद वंशवादी शैली में उन्होंने अपने बेटे उमर अब्दुल्ला की यह कहकर दावेदारी आगे बढ़ाई कि इस पद के लिए अब युवा खून की दरकार है। 2008 में हालात काफी गंभीर हो गए। उमर के दो साल से भी कम समय के शासन में जम्मू-कश्मीर फिर से बुरी तरह अस्थिरता की चपेट में आ गया था। जब उन्हें लगा कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं तो उन्हें सेना का सहारा लेना पड़ा।

अवधेश राजपूत

जम्मू-कश्मीर में इस्लाम की धारा फारस के रास्ते दाखिल हुई जिसमें सूफी भाव शामिल था। हिंदुत्व के साथ मिलकर यह धारा और नरम हुई। इसी सांस्कृतिक मिश्रण को कश्मीरियत का नाम दिया गया। अल्पसंख्यकों को सताने वाले कुछ निरंकुश शासकों को छोड़ दिया जाए तो सात शताब्दियों तक यहां सौहार्द का माहौल बना रहा। जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया तो जम्मू-कश्मीर में इस्लामिक लहर चल निकली। 1931 में जम्मू कश्मीर मुस्लिम कांफ्रेंस (एमएनसी) की स्थापना हुई। बाद में मुस्लिम शब्द हटाकर नेशनल कांफ्रेंस तो बन गई, लेकिन वह कभी भी धर्मनिरपेक्ष साख नहीं अर्जित कर सकी। मुस्लिम नेतृत्व के एक बड़े वर्ग ने कश्मीर में अलगाववादी मुहिम चलाई। जम्मू-कश्मीर का प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीनों बाद ही शेख अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की जुबान बोलनी शुरू कर दी। फिर 1953 में उन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि उनके सहोदर नेहरू ने ही जेल में डाला।

नेशनल कांफ्रेंस द्वारा 1987 के चुनावों में हेराफेरी से घाटी में वहाबियों के लिए रास्ता साफ हुआ। इससे निकली आजादी की आवाज ने कश्मीरियत को कुचल दिया। कश्मीरी पंडितों को बंदूक की नोक पर उनके घरों से बेदखल किया गया। कश्मीर को अल्पसंख्यकों से मुक्त कराने के लिए नस्लीय सफाया हुआ। इसका मकसद लोगों पर जबरन इस्लाम थोपना था। इसके साथ ही कश्मीरियत हमेशा के लिए दफन हो गई और चरमपंथी इस्लाम की वैचारिक धुरी मानी जाने वाली वहाबी धारा हावी हो गई। मस्जिदें-मदरसे इस्लामी चरमपंथ, भारत विरोध और पाकिस्तान परस्ती का केंद्र बन गए। शरीयत और इस्लामिक कानूनों को लागू करना ही एकमात्र मकसद बन गया। खासतौर से युवाओं का वह तबका इसमें जी-जान से जुटा जो पाकिस्तानी आतंकी समूहों और आइएसआइ की कठपुतली बन चुका था।

ऐसे में प्रोत्साहन और दंडित करने वाली जांची परखी नीति ही उपयुक्त है। राज्यपाल शासन में हालात सामान्य बनाने के लिए सुरक्षा बलों को और आजादी दी जाए। पत्थरबाजों से निपटने के लिए उन पर सख्ती करने में भी कोताही न की जाए। अलगाववादियों पर शिकंजा कसने के साथ ही उन्हें और उनके परिवारों को मिली सुविधाएं वापस ली जानी चाहिए। कश्मीरियत और आपसी भरोसे की बहाली के साथ ही आइटी पार्क खोलने एवं रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जाए। मदरसों के आधुनिकीकरण के साथ ही धार्मिक स्थल एवं श्राइन अधिनियम, 1988 के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी कदम उठाने होंगे। सऊदी अरब से आने वाली संदिग्ध वित्तीय मदद पर नजर रखने, पाकिस्तान की छवि नाकाम मुल्क के तौर पर स्थापित करने और भारत की सफलता गाथा से पाकिस्तानी दुष्प्रचार को मात देने की दरकार है। यह स्थानीय लोगों की मदद से संभव होगा।

मीडिया को भी बुरहान वानी जैसे आतंकी के महिमामंडन से रोकना होगा। बालिका शिक्षा और महिला सशक्तीकरण के साथ ही कश्मीरी पंडितों की वापसी भी सुनिश्चित करनी होगी। पुलिस को आधुनिक बनाना होगा जिसमें उन्हें बेहतर हथियारों के साथ लोगों के साथ घुलने-मिलने का प्रशिक्षण देना होगा जिससे सेना का दायरा कम हो सके। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने, पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने और कश्मीरी युवाओं को राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ जोड़ने की भी दरकार है। एनसीसी इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। चरमपंथ से निपटना असल में धारणा से जुड़ी लड़ाई है। इसके लिए लोगों के दिलों को जीतने की नई-अनूठी एवं निरंतर कोशिशें करनी होंगी। इस संकट से निपटने में कुशलता के साथ किए गए प्रयास ही हालात सामान्य कर सकते हैं।

(लेखक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं)

response@jagran.com

उपभोक्ता हैं जीएसटी के असल विजेता

अमिताभ कांत

भारत का सकारात्मक अनुभव जीएसटी के कई टैक्स स्लैब का भी परिणाम है

एक वर्ष बाद जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली स्थिर नजर आने लगी है। इस एक वर्ष में अल्पकालिक व्यवधान के बावजूद अर्थव्यवस्था पटरी पर रही और इसका लाभ उपभोक्ताओं यानी आम लोगों को मिला। जीएसटी सभी दलों की सर्वसम्मति से लाया गया और जीएसटी परिषद के तहत केंद्र और सभी राज्यों के बीच सहमति से काम किया गया। यह एक अनूठी उपलब्धि है-खासकर यह देखते हुए कि परिषद में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और प्राथमिकताओं वाले राज्य शामिल हैं। यह केवल सहयोगपूर्ण संघवाद के सिद्धांत से ही संभव था। यह केंद्र सरकार के सभी स्तरों पर इस सुधार को दिए गए महत्व को भी दर्शाता है। एक वर्ष में जीएसटी में 40 लाख अतिरिक्त करदाता शामिल हुए हैं। राजस्व संग्रह के रुझान अच्छे रहे हैं। औसत मासिक संग्रह 90,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा है। मैं यह विशेष रूप से दर्शाना चाहता हूं कि जीएसटी ने देश के आम उपभोक्ताओं को कैसे प्रभावित किया है।

सरकार के लिए गरीब और मध्य वर्ग सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटलीकरण और कई अन्य क्षेत्रों में कई नीतिगत उपायों के माध्यम से आम आदमी के जीवन को अधिक आसान और गुणवत्तापूर्ण बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जीएसटी ने आम आदमी पर टैक्स के बोझ को काफी हद तक कम किया है। जीएसटी से पहले, उपभोक्ताओं को उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट,चुंगी, बिक्री कर इत्यादि जैसे कई करों का भुगतान करना पड़ता था। इनमें से कई कर अंतिम उपभोक्ता के लिए अदृश्य बने रहे, फिर भी उन पर उनका बोझ पड़ता था। एक कर का दूसरे पर प्रभाव पड़ने की वजह से अप्रत्यक्ष करों का एक बड़ा बोझ अस्तित्व में था। जीएसटी से बड़ी संख्या में करों की जगह एकल कर व्यवस्था लागू हुई जिससे कई उपभोक्ता वस्तुओं पर कर की दर कम हुई है। जीएसटी के माध्यम से सरकार ने उपभोक्ताओं पर अप्रत्यक्ष करों के बोझ में एक महत्वपूर्ण कटौती की है। हालांकि बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी गई है, तथापि अन्य मूलभूत खाद्य पदार्थ जैसे दूध पाउडर, मसाले, वनस्पति तेल आदि निम्नतम स्लैब के तहत आते हैं, जो पिछली कर दरों की तुलना में भी कम है। चॉकलेट, चीनी कन्फेक्शनरी, नमकीन, मिनरल वाटर सहित अन्य खाद्य पदार्थों में भी 3-10 फीसद की सीमा में कर कटौती की गई। घरों में आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं जैसे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, केश तेल, डिटर्जेंट, वाशिंग पाउडर आदि के लिए अंतिम उपभोक्ता पर टैक्स का भार पूर्ववर्ती 26-28 फीसद से घटकर जीएसटी शासन के तहत 18 फीसद रह गया है। एक तरह से देखें तो 10 फीसद तक की कटौती हुई है। कई अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर कम हो गया है। उदाहरण के लिए फर्नीचर पर कर की दरें 28 फीसद से घटकर 18 फीसद रह गई हैं। बांस के फर्नीचर में तो कर की दर 23 फीसद से घटकर 12 फीसद ही रह गई है। छोटी कारों में कर की दर लगभग 40 फीसद से कम होकर आम तौर पर 29 फीसद रह गई है और कार निर्माताओं द्वारा खुदरा कीमतों में कटौती के कारण उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है।

स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं भी जीएसटी से मुक्त हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित उत्पादों जैसे कि कई दवाओं और उपकरणों में कर की दरों में कमी हुई है। 5-20 फीसद तक वैट के अतिरिक्त कुल बिल राशि पर 6 फीसद सेवा कर की तुलना में रेस्तरां, खाने के स्थानों जैसी सेवाओं पर भी कर घटाकर 5 फीसद किया गया है। हाउसिंग सोसायटी के आरडब्ल्यूए की सेवाओं को जीएसटी से 7,500 रुपये तक की छूट दी गई है जो जीएसटी से पहले 5,000 रुपये हुआ करती थी। हालांकि इनमें से कुछ दरों में कटौती के लिए मूल जीएसटी दर संरचना में व्यवस्था की गई थी तथापि और अधिक कटौतियां जीएसटी की शुरुआत के कुछ महीनों बाद की गई थीं। कुल मिलाकर आम उपभोक्ताओं पर जीएसटी का लाभकारी प्रभाव दिख रहा है।

जीएसटी की शुरुआत के बाद से भारत में उपभोक्ता मुद्रास्फीति मामूली बनी हुई है। इसने सरकार द्वारा निर्धारित 6 फीसद सीमा एक बार भी पार नहीं की है। इसके विपरीत कई अन्य देशों में जीएसटी के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में शुरुआती बढ़ोतरी हुई जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ी। उदाहरण के लिए जीएसटी के अमल के तुरंत बाद विभिन्न देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई और ब्रिटेन एवं न्यूजीलैंड में तो दो अंकों तक पहुंच गई। भारत का सकारात्मक अनुभव जीएसटी के कई टैक्स स्लैब का भी परिणाम है। इसने गरीब और मध्य वर्ग के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की है। कम कर दरों के बावजूद सरकार ने अच्छा राजस्व संग्रह किया है। कर अनुपालन में लगातार वृद्धि से सरकार करों में कटौती के एक और दौर को चलाने में सक्षम होगी। इससे जीएसटी कर संरचना और सरल हो सकेगी। कम करों के अलावा, उपभोक्ताओं को माल की कम कीमतों से भी फायदा होगा।

(लेखक नीति आयोग के सीईओ हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अनुभव

जिंदगी की वास्तविक समझ अनुभव से पैदा होती है। हम अपनी क्षमताओं का समुचित आकलन और नियोजन अनुभव के माध्यम से ही कर सकते हैं। अनुभव किए बगैर न तो हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं और न ही अपने अंदर समाई दिव्य क्षमताओं का परिचय पा सकते हैं। हम आखिर हैं कौन? और हमारे अंदर क्या है, जो बाहर फूटकर आना चाहता है? क्षमताएं अंदर सुप्त रूप में पड़ी रहती हैं। इन्हें तभी जगाया और जगाकर निर्दिष्ट कार्य में नियोजित किया जा सकता है, जब हम इन्हें गहराई से महसूस करेंगे। इन्हें हम जितना महसूस करेंगे, उनकी पहचान उतनी ही अधिक होगी। क्षमताओं को महसूस करना कोई बौद्धिक व्याख्या नहीं है और कोई तर्क भी नहीं है कि यह ऐसा होगा या नहीं होगा। इनके बारे तभी सार्थक रूप से बताया जा सकता है, जब इनकी बारीकियों को हम महसूस करेंगे। जीवन में असीम क्षमताएं समाई हुई हैं, परंतु ये सोई पड़ी हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इन दिव्य विभूतियों से वंचित होगा। सभी में ऐसी महान विभूतियां समाई हैं कि उनके एक अंश उभरकर सामने आने पर मनुष्य कहां से कहां पहुंच सकता है। जीवन की राहें कंटीले कांटों से अटी पड़ी हैं जिन्हें भेदकर गुलाब का सुखद स्पर्श किया जा सकता है। एक ने निरी कल्पना की, परंतु दूसरे ने उसका यथार्थ अनुभव किया और उसने अनुभव के लिए अपनी समस्त कुशलता को झोंक दिया। इसके बाद ही वह सब कुछ उपलब्ध कर सका। क्षमता को सतत प्रक्रिया से उभारा जा सकता है।

निरंतर प्रयास से क्षमता निखरती है, परंतु इससे ठीक विपरीत रुक जाने से यह छिप जाती है, ढक जाती है। क्षमता राख की परतों में ढकी हुई होती है। जो इसे महसूस करता है, उसे अंगारों के समान धधका देता है। क्षमताओं का आकलन से परिस्थितियों का आकलन हो जाता है। क्षमता की सही समझ और परिस्थितियों के सही नियोजन से विकास की ऐसी अविरल धारा फूट पड़ती है, जिसे हम प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा कुछ नहीं है, बल्कि हमारी क्षमताओं एवं परिस्थितियों के बीच सामंजस्य स्थापित कर श्रेष्ठ और नया करने के लिए सतत अवसर तलाशने और उसे कर गुजरने के हौसले का नाम है। हम अपनी क्षमताओं को जितना अनुभव करेंगे, हमारी प्रतिभा उतनी ही विकसित होगी।

डॉ. सुरचना त्रिवेदी

तथ्य-कथ्य भारतीय हवाई क्षेत्र में टले विमान हादसे

(दो विमानों के बीच तय दूरी के उल्लंघन के मामले)

स्रोत : पीटीआई

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

धर्म विशेष से लगाव खतरनाक

बिना मकसद वाली एक बैठक शीर्षक लिखे अपने लेख में ए रहमान ने कांग्रेस और मुस्लिम धर्म के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला है। देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी कांग्रेस के ऊपर से जिस तरह आमजन का विश्वास उठता जा रहा है, उसको इस पर मंथन जरूर करना चाहिए कि आखिर इसका कारण क्या है? यहां यह कहना उचित होगा कि आज देश में शायद ही कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी होगी जो हिंदू-मुस्लिम वर्ग से अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए हर हथकंडा न अपनाती हो। धर्म और राजनीति लोक कल्याण के लिए एक गाड़ी के दो पहिये माने जाते हैं। दोनों का मकसद इंसानियता की राह पर चलके लोक कल्याण होना चाहिए, न कि विरोध या नफरत, लेकिन अफसोसजनक तो यह है कि धर्म का दुरुपयोग आज से नहीं, बल्कि राजा-महाराजाओं और अंग्रेजों के समय से सत्ता पाने के लिए किया जाता आ रहा है, लेकिन मौजूद समय में कांग्रेस जिस तरह मुस्लिम समाज के साथ ज्यादा हमदर्दी वोट बैंक के लिए दिखाती है, वह कांग्रेस के लिए खतरनाक भी सिद्ध हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं से मेलजोल और कांग्रेस के अन्य नेताओं का बयान कांग्रेस के प्रति हिंदुओं के दिलोदिमाग में नफरत पैदा कर सकता है। कांग्रेस को यह भी याद रखना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां मात्र किसी एक ही धर्म विशेष के साथ लगाव या मेलजोल बढ़ा कर चुनाव नहीं जीता जा सकता। कांग्रेस को हर धर्म के गरीब, पिछड़े और आमजन के आधार से जुड़ी समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। मुस्लिम समाज में भी गरीब और पिछड़े होते हैं। कांग्रेस को अपनी पुरानी गलतियों पर अमल नहीं करना चाहिए जो उसने इतिहास में की हैं, बल्कि उनको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में यह भी कहना उचित होगा कि जब तक जातिवाद, धर्म-संप्रदाय पर राजनीति की रोटियां सेकीं जाती रहेंगी, तब तक जातीय नफरत की दीवारें टूटना मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन है।

raju09023693142@yahoo.com

इतिहास से सीख

जब विश्व के ज्यादातर देश विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं तो वहीं ऐसा लगता है जैसे भारतीय राजनीति भारत को हिन्दू -मुसलमान और सवर्ण -दलित के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलने देना चाह रही है। निश्चित रूप से इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन बीते हुए कल में किसने क्या किया यदि उसका बदला हम आने वाले कल से लेने की सोचेंगे तो यह नासमझी होगी। आज भी यदि कोई कहे कि विशेष धर्म या जाति का होने के कारण वह विकास से वंचित है तो सन्देश स्पष्ट है कि ना तो पूर्ववर्ती सरकारों ने उस धर्म और जाति विशेष के लोगों की तरफ ध्यान दिया और ना ही ऐसे लोगों ने अपनी ओर ध्यान दिया।

vandanalkowest@gmail.com

शिक्षा व स्वास्थ्य को सुधारें

नोटबंदी और जीएसटी के फैसले लेते वक्त केंद्र सरकार ने जितना कड़ा रुख अख्तियार किया था उतने ही कड़े फैसले एक बार शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के मामले पर सरकार को लेने की जरूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यवसायिक कहर लोगों के लिए दिनोंदिन मुसीबत बनते जा रहा है। अपनी आय की एक बहुत बड़ी राशि आज लोग शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। इसके बावजूद संतोषजनक परिणाम की गारंटी नहीं है। गली-गली में भी निजी स्कूलों का खुलना इस बात का प्रमाण है कि सरकारी स्कूली व्यवस्था से लोग खुश नहीं हैं। इस दिशा में सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

mkumarbaluachak@rediffmail.com

नीरज के अवसान का मतलब

गोपाल दास नीरज हिन्दी कवि सम्मेलनों की विगत पचास वर्षों में आन- बान- और शान रहे। उनके अवसान का मतलब उस अंतिम कड़ी का अवसान है जो दिनकर, बच्चन और महादेवी से लेकर आज की पीढ़ी के कवियों के बीच एक सेतु का काम किया करती थी। नीरज की एक-एक कविता, अंतरा, मुखड़ा, दोहा, वाक्य श्रोताओं के दिलों दिमाग में बैठ गए हैं। जब खुद के कहने से ज्यादा व्यक्ति के रचनाकर्म की याद उसके चाहने वाले दिला रहे हों तो समझना चाहिए कि रचना करने वाले ने जो कुछ रचा है उसमें वह अमर हो गया है। नीरज का रचना संसार इतना विस्तृत और विविधतापूर्ण है कि उसमें हर व्यक्ति के लिए अपनी पसंद की पंक्तियां चुनने की पर्याप्त आजादी है। गीत, कविता, फिल्मी गीत, दोहे, मुक्तक, गजल, छंद कविता की ऐसी कोई विधा नहीं रही जिसमें नीरज ने कलम नहीं चलाई हो। लेकिन उनका मन गीतों में सर्वाधिक रमा। कविता से प्रसिद्धि के शिखर को छूने वाले और उम्र के अंतिम पड़ाव तक वहां बने रहने वाले कवियों में नीरज पहले और अंतिम व्यक्ति थे। उनके जैसा भूत न भविष्यति न कोई हुआ है न आगे होने की कोई उम्मीद दिखाई पड़ रही है। उनकी संसार यात्रा पर नजर डालें तो कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे जैसे मशहूर गीत की रचना करने वाले गोपाल दास नीरज काव्य मंचों पर जितने सफल रहे उनकी लेखनी का जादू फिल्मी गीतों के लेखन में भी उतना ही सर चढ़कर बोला। वे हिन्दी फिल्मों के एक मात्र ऐसे गीतकार रहे जिसे अपने बेजोड़ गीत लेखन के लिए 1970 के दशक में लगातार तीन बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित होने का अवसर मिला। नीरज उम्र के अंतिम दिनों तक सक्रिय रहे। उम्र के नौवें दशक में भी देश- विदेश के कवि सम्मेलनों में वे उसी ठसक के साथ शिरकत करते रहे।

joshi.devendra85@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

राहुल गांधी ने क्या जबरदस्त भाषण दिया। यह कायापलट करने वाला है जिसमें सरकारी दावों की बखिया उधेड़ने के साथ ही अंत में सहसा गले मिलकर एक तरह से भाजपा की सांसें ही अटका दीं। शशि थरूर@ShashiTharoor

राहुल गांधी ने जो किया वह पूरी तरह नौटंकी ही है। आप लोगों को तथ्यों के आधार पर चुनौती दीजिए। इस तरह नहीं। संसद कोई सिनेमा की सत्तर एमएम वाली स्क्रीन नहीं है।

भूपेंद्र चौबे@bhupendrachaube

राहुल गांधी के भाषण का कौनसा हिस्सा ज्यादा वास्तविक था। गले मिलना या आंख मारना? प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरी गरिमा के साथ उनकी झप्पी को स्वीकार किया और उनकी पीठ पर दोस्ताना शाबासी दी।

अद्वैता काला@AdvaitaKala

पीएम मोदी से गले मिलने के बाद एक वंशवादी राहुल गांधी ने उपहास उड़ाने वाले अंदाज में दूसरे वंशवादी ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखकर आंख मारी। इससे हेलसिंकी में पुतिन से मिलने के बाद ट्रंप द्वारा साजिशन आंख मारने के वाकये की याद आ गई। मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

अब जब राहुल ने मोदी को गले लगा लिया तो क्या ट्विटर पर कांग्रेस और मोदी के प्रशंसक भी एक दूसरे को गले लगाएंगे? चेतन भगत@chetan_bhagat

जनपथ

उखड़ा सारे देश का है जिनसे विश्वास,
चलें लादकर आज वे अविश्वास की लाश।
अविश्वास की लाश शून्य ही रहा नतीजा,
संसद में भूकंप लाय ना सका भतीजा।
अब जाएंगे आप पराजित लेकर मुखड़ा,
दो हजार उन्नीस हाथ से समझो उखड़ा।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। **वर्ष 29 अंक 4**